

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का फाइल नं० 08-20/2019- एफ सी
दिनांक 11.03.2020 का पालन प्रतिवेदन

i	Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged.	वचन पत्र संलग्न है
ii	Remaining seedlings from norm of planting 1,000 numbers/ha in compensatory afforestation patch shall be planted in near by degraded forest area and kml files of such patches will be uploaded on e-green watch and PARIVESH portal.	वचन पत्र संलग्न है
iii	State government may ensure that part of NPV levies deposited against the project shall also be utilised for rehabilitation of nearby degraded forest land.	वचन पत्र संलग्न है
iv	User agency will ensure that forest area nearby shall not be encroached upon due to implementation of the project.	वचन पत्र संलग्न है
v	User agency will ensure that during lean season (in reservoir draw-down condition) the forest areas diverted for submergence will not be used for agriculture.	वचन पत्र संलग्न है
vi	Gainful opportunities of work shall be provided on priority basis to the nearby resident population while implementing the project.	वचन पत्र संलग्न है
vii	User agency will ensure that water requirement for forestry activity in command area of the project will be provided to the state Forest Department free of charge.	वचन पत्र संलग्न है
viii	Effect of the change in water regime on forest vegetation shall be monitored by the State Forest Department through a reputed institute after 5 Years and report will be shared with the Ministry also.	वन विभाग से संबंधित है
ix	Compensatory afforestation:-	
a	The Compensatory Afforestation shall be taken up by the State Forest Department over 45.278ha. Non-forest land/degraded land (Compartment No./Khasra No. 145/1, village - Ramgarh-B, Tehsil- Bijawar District Chhatarpur) at the cost of the User Agency. As far as practicable a mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of a species has to be avoided.	वचन पत्र संलग्न है

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का फाइल नं० 08-20/2019- एफ सी
दिनांक 11.03.2020 का पालन प्रतिवेदन

b	The non forest land shall be transferred and mutated in favour of Forest Department and notified as RF/PF prior to stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non forest land under section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act. 192 or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, will be submitted by the State Government prior to State-II approval.	वन विभाग से संबंधित है
x	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	वचन पत्र सलग्न है
xi	The State Government shall submit a certificate, that site for CA is suitable and free from all encroachments and other encumbrances, under the signature not below the rank of Nodal Officer (FCA) in the State Government.	वचन पत्र सलग्न है
xii	The land identified for the purpose of CA shall be clearly depicted on a Survey of India toposheet of 1:50,000 scale.	वचन पत्र सलग्न है
xiii	Net Present Value (NPV):	
a	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 45.278 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per orders of the Hon'ble supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC(Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard;	निर्देशानुसार राशि जमा कर दी गई है

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का फाइल नं० 08-20/2019- एफ सी
दिनांक 11.03.2020 का पालन प्रतिवेदन

b	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The user Agency shall furnish an undertaking to this effect.	निर्देशानुसार राशि जमा कर दी गई है
xiv	The user agency shall obtain the Environment, clearance as per the provisions of the Environment (protection) act 1986 if required.	वचन पत्र सलग्न है
xv	The cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	वचन पत्र सलग्न है
xvi	The copy of approved Catchment Area Treatment (CAT) Plan shall be submitted in accordance to para no. 4.8 (i) of Forest (Conservation) Act. 1980 Handbook, if applicable, the commensurate cost of CAT plan will be deposited in the CAMPA account through e-portal.	वचन पत्र सलग्न है
xvii	The State Government shall ensure that the forest land located between FRL and the FRL-4 meters may be afforested by planting appropriate indigenous tree species.	वचन पत्र सलग्न है
xviii	The User Agency shall undertake afforestation along the periphery of the reservoir.	वचन पत्र सलग्न है
xix	The User agency shall provide free water for the forestry related projects.	वचन पत्र सलग्न है
xx	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	वचन पत्र सलग्न है
xxi	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://Parivesh.nic.in)	राशि जमा कर दी गई है
xxii	Layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the central Government.	वचन पत्र सलग्न है
xxiii	No construction of buildings/labour camp/huts shall be allowed on the forest land.	वचन पत्र सलग्न है

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का फाइल नं० 08-20/2019- एफ सी
दिनांक 11.03.2020 का पालन प्रतिवेदन

xxiv	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal and under no circumstances be transferred to any other agency, department or person.	वचन पत्र सलग्न है
xxv	The state government ensure that the user agency shall implement the R&R Plan as per the R&R Policy of State Government in consonance with National R&R Policy, Government of India before the commencement of the project work. The said R&R Plan will be monitored by the State Government/Regional Office of MoEF&CC along with indicators for monitoring and expected observable milestones.	वन विभाग से संबंधित है
xxvi	User agency in consultation with the State Forest Department shall create and maintain alternate habitat /home for the avifauna, whose nesting tress are to be cleared in this project Bird nests artifiically made out of eco-friently materials shall be used in the area,including forest area and human settlements adjoning the forest area being diverted for the project.	वचन पत्र सलग्न है
xxvii	The User agency shall provide alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas;	वचन पत्र सलग्न है
xxviii	Bunday of the forest land proposed to be diverted shall be demarcated on ground at the project cost by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, forward and back bearing, distance from pillar to pillar and GPS co-ordinates;	वचन पत्र सलग्न है
xxix	The State Government shall maintain the character of the projects as an irrigation project and to ensure continued benefit to the farmers in the command area, no more diversion of water from the project for industrial projects will be permitted future;	वचन पत्र सलग्न है

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का फाइल नं० 08-20/2019- एफ सी
दिनांक 11.03.2020 का पालन प्रतिवेदन

xxx	The User agency shall submit the annual self compliance report in respect of the above conditions to the State Government, concerned Regional Office and this Ministry by the end of March of every year regularly; and	वचन पत्र सलग्न है
xxxi	The Violation of any of these conditions will amount to violation of ^{Forest} (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the 1.21 of comprehensive guidelines issued vide this Ministry F. No. 5-2/2017-FC dated 28 march 2019.	वचन पत्र सलग्न है
xxxii	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife shall be carried with by the State Government and user agency.	वचन पत्र सलग्न है
xxxiii ensure	The State Government and user agency shall ensure compliance to all conditions stipulated in the stage-I approval for which undertakings have been obtained from the user agency and also the provisions of the all Acts, Rules Regulations and Guidelines, relevant Hon'ble Court Order (S) and NGT Order(S), if any, pertaining to this project for the time being in forec, as applicable, to the project.	वचन पत्र सलग्न है
xxxiv	The complete compliance report with undertakings and plans/schemes will be uploaded on the web ~ portal (https://parivesh.nic.in/).	अप लोड है ।


 कार्यपालन यंत्री
 जल संसाधन सभाग,
 छतरपुर (म०प्र०)

बिन्दु शर्त क्र० - I

प्रमाण - पत्र

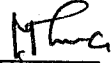
प्रमाणित किया जाता है कि तेन्दुआ नाला तालाब निर्माण परियोजना में प्रभावित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य गैर वन / राजस्व / निजी भूमि का अधिपत्य विभाग द्वारा कर लिया गया है ।


कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग,
छतरपुर (म०प्र०)

बिन्दु शर्त क्र० - II

प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि तेन्दुआ नाला तालाब योजना में प्रभावित वन भूमि के बदले जमीन उपलब्ध करा दिया गया है । तथा परिवेश Portal में Upload कर दिया गया है ।


कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग,
छतरपुर (म०प्र०)

ढ्यायालय कलेक्टर, जिला-छतरपुर (म.प्र.)

छतरपुर, दिनांक - 15/03/2018

// आ दे श //

प्रकरण क्रमांक 73/अ-19(3)/भूमि हस्तां./2017-18 कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नौगांव, जिला छतरपुर द्वारा अपने पत्र क्रमांक 2438-ए/कार्य./2017, नौगांव, दिनांक 13.10.2017 से तेंदुआ नाला तालाब योजना डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम श्यामरीपुरवा स्थित वन भूमि रकवा 45.278 है० के बदले शासकीय समतुल्य राजस्व भूमि वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने का अनुरोध किया गया।

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नौगांव जिला छतरपुर के प्रस्ताव अनुसार नायब तहसीलदार देवरा, तहसील बिजावर द्वारा जांच प्रकरण क्र० 203/बी-121/2017-18 पंजीबद्ध कर अपने प्रतिवेदन दिनांक 28.02.2018 से प्रतिवेदित किया गया है कि हल्का पटवारी नं० 48 शाहगढ़ से वन विभाग एवं जल संसाधन विभाग के कर्मचारियों के साथ स्थल जांच प्रतिवेदन खसरा, नक्शा, नक्शा ट्रेस प्राप्त कर ग्राम रामगढ़(बी) स्थित शासकीय राजस्व भूमि खसरा नं० 145/1 रकवा 202.710 है० भूमि जो राजस्व अभिलेख में म०प्र० शासन पहाड़ के रूप में दर्ज भूमि में से 45.278 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को हस्तांतरित किए जाने के संबंध में इशतहार का प्रकाशन किया गया। सावधि कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर हस्तांतरित किये जाने की अनुशंसा की गई।

अनुविभागीय अधिकारी, बिजावर द्वारा अपने प्रकरण क्रमांक 745/बी-121/2017-18 प्रतिवेदन दिनांक 01.03.2018 से नायब तहसीलदार देवरा के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रतिवेदित किया है कि ग्राम रामगढ़(बी) स्थित शासकीय राजस्व भूमि खसरा नं० 145/1 रकवा 202.710 हेक्टेयर में से 45.278 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु डूब क्षेत्र में प्रभावित होने वाली वन भूमि के बदले दिये जाने की अनुशंसा की गई।

वन मण्डलाधिकारी (सामान्य), वन मण्डल, छतरपुर द्वारा अपने ज्ञाप क्रमांक/म.चि./2018/962, छतरपुर दिनांक 14.03.2018 से डूब क्षेत्र में आने वाली वन भूमि के बदले शासकीय राजस्व समतुल्य भूमि स्थित ग्राम रामगढ़(बी) खसरा नं० 145/1 कुल रकवा 202.710 हेक्टेयर में से 45.278 हेक्टेयर भूमि क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराने में सहमति प्रदत्त की गई।

अनुविभागीय अधिकारी, बिजावर एवं वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) वन मण्डल छतरपुर द्वारा दी गई सहमति के आधार पर तेंदुआ नाला तालाब के डूब क्षेत्र में आने वाली ग्राम श्यामरीपुरवा स्थित वन भूमि रकवा 45.278 हेक्टेयर के बदले तहसील बिजावर राजस्व निरीक्षण मण्डल, देवरा पटवारी हल्का 48 शाहगढ़ स्थित ग्राम रामगढ़ (बी) भूमि खसरा नं० 145/1 कुल रकवा 202.710 हेक्टेयर में से 45.278 हेक्टेयर शासकीय राजस्व समतुल्य भूमि क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 4 क्रमांक 1 की कंडिका 36 के तहत म०प्र० शासन वन विभाग के नाम निम्नांकित शर्तों पर हस्तांतरित की जाती है।

नायब तहसीलदार देवरा को आदेशित किया जाता है कि आदेशानुसार भूमि का मौके पर सीमांकन कर पत्थर गाड़कर चौहद्दी बताते हुये नापकर कब्जा म०प्र० शासन वन विभाग, (वन मण्डलाधिकारी (सामान्य), वन मण्डल छतरपुर) जिला छतरपुर, को सौंपते हुये हस्तांतरित भूमि नक्शे में चिन्हित कर राजस्व अभिलेखों को अद्यतन करते हुये पालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें।

शर्त :-

1. विषयांकित प्रयोजन से भूमि का प्रयोग विभिन्न प्रयोजन में नहीं किया जावेगा।
2. प्रश्नाधीन भूमि पर स्थित वृक्षों की कटाई की अनुमति सक्षम प्राधिकारी से ली जाना आवश्यक होगा।
3. प्रश्नाधीन आदेश तेंदुआ नाला तालाब योजना के निर्माण कार्य होने पर ही प्रभावशील होगा।
4. पर्यावरण पदूषण का भी ध्यान रखना होगा।
5. कलेक्टर या उसके प्रतिनिधि को भूमि के उपयोग के संबंध में प्रवेश करने एवं निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
6. भविष्य में भूमि का उपयोग विषयांकित प्रयोजन पर न होने के कारण उस पर निर्मित अद्योसरचना एवं सम्पत्ति पर म0प्र0 शासन राजस्व विभाग का स्वामित्व होगा, जिसके लिये कोई मुआवजा राशि देय नहीं होगी।
7. हस्तांतरित भूमि पर कब्जा प्राप्ति के 15 दिवस के अन्दर हस्तांतरित भूमि पर बाउण्ड्री निर्माण का कार्य प्रारम्भ करना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन होने पर आदेश स्वमेव शून्य हो जावेगा।

(रमेश भण्डारी)

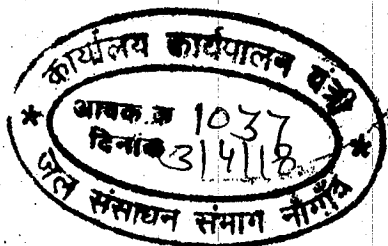
कलेक्टर

जिला-छतरपुर, म0प्र0

छतरपुर, दिनांक- 15/03/2018

पू0प्र0क्रं0 73/अ-19(3)/भूमि.हस्ता./2017-18
प्रतिलिपि :-

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. कमिश्नर, सागर संभाग, सागर, मध्यप्रदेश।
5. वन संरक्षक, (सामान्य) वन मण्डल छतरपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छतरपुर, जिला छतरपुर की ओर सूचनार्थ।
7. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नौगांव, जिला छतरपुर की ओर पत्र क्रं0 2438-ए/कार्य./2017, नौगांव दिनांक 13.10.2017 के संदर्भ में पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. नजूल अधिकारी, जिला छतरपुर की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिजावर।
10. अधीक्षक, भू-अभिलेख, कलेक्ट्रेट की ओर पत्र क्रं0 330/भूअभि/स.अ.भू./2018, दिनांक 15.03.2018 के संदर्भ में पालनार्थ एवं सूचनार्थ।
11. नायब तहसीलदार देवरा की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



(रमेश भण्डारी)

कलेक्टर

जिला-छतरपुर, म0प्र0

बिन्दु शर्त क्र० - III

प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि तेन्दुआ नाला तालाब योजना की N.P.V राशि जमा कर दी गई है ।


कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग,
छतरपुर (म०प्र०)

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छतरपुर (म.प्र.)

E-mail:- eewrdchhatarpur@gmail.com

पत्र क्रमांक 378

/व.ले.लि./2021-22

छतरपुर, दिनांक 09/03/2022

प्रति,

वन मण्डला अधिकारी,
सामान्य वन मंडल छतरपुर (म0प्र0)।

विषय:- जिला छतरपुर के अंतर्गत तेंदुआ नाला बांध योजना के निर्माण हेतु 45.278 हे. वन भूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बावत ।

संदर्भ:- आपका पत्र मा.चि./2020/6368 छतरपुर दिनांक 08.10.2020

—0000—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा वांछित जिला छतरपुर के अंतर्गत तेंदुआ नाला बांध योजना के निर्माण हेतु 45.278 हे. वन भूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग के लिए राशि रु. 46277330/- (चार करोड़ बासठ लाख सतहत्तर हजार तीन सौ तीस मात्र) दिनांक 08.03.2022 को कम्पा चालान यूनियन बैंक ऑफ इंडिया नई दिल्ली आईएफएससी कोड क. UBIN0903710 खाता क. 150765732224703 में राशि निम्नानुसार जमा की गई है।

स.क्र.	रोपित शर्त का विवरण	रकवा हे. में	राशि (रुपये)	रिमार्क
1.	क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण (a) मृदा संरक्षण कार्य (गैर वन भूमि) (b) बिगड़े वन क्षेत्र पर	45.278 90.556	5613300.00 12320000.00	
	योग		17933300.00	
2.	नेट प्रजेंट वैल्यू	45.278	28344030.00	
	कुल योग		46277330.00	

(एम.के.रुसिया)
कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग छतरपुर

पृ. क्रमांक 378A /व.ले.लि./2021-22

छतरपुर, दिनांक 09/03/2022

प्रतिलिपि:-

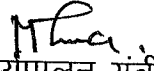
1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य अभियंता, धसान केन कछार जल संसाधन विभाग सागर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मंडल छतरपुर की ओर सूचनार्थ।
4. मुख्य वन संरक्षक, छतरपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

(एम.के.रुसिया)
कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग छतरपुर

बिन्दु शर्त क्र० -IV

वचन पत्र

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छतरपुर, वचनवद्ध है कि अगर प्रोजेक्ट में कोई बदलाव होता है तो उससे अधिक वन भूमि पर कब्जा नहीं करेगा ।


कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग,
छतरपुर (म०प्र०)

बिन्दु शर्त क्र० - V

प्रमाण - पत्र

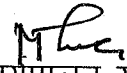
प्रमाणित किया जाता है कि तेन्दुआ नाला तालाब योजना के डूब क्षेत्र को खाली होने पर कृषि कार्य हेतु नहीं दिया जायेगा ।


कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग,
छतरपुर (म०प्र०)

बिन्दु शर्त क्र० – VI

प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि तेन्दुआ नाला तालाब योजना का कार्य निकटवर्ती रहने वाली जनता को कार्य एवं लाभ दिया जायेगा ।


कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग,
छतरपुर (म०प्र०)

बिन्दु शर्त क्र० - VII

वचन - पत्र

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छतरपुर वचनवद्ध है कि तेन्दुआ नाला तालाब योजना अन्तर्गत वन विभाग को बिना कोई चार्ज के पानी दिया जायेगा ।


कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग,
छतरपुर (म०प्र०)

न्यायालय कलेक्टर, जिला-छतरपुर (म.प्र.)

छतरपुर, दिनांक - 15/03/2018

// आदेश //

प्रकरण क्रमांक 73/अ-19(3)/भूमि हस्ता./2017-18 कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नौगांव, जिला छतरपुर द्वारा अपने पत्र क्रमांक 2438-ए/कार्य./2017, नौगांव, दिनांक 13.10.2017 से तेंदुआं नाला तालाब योजना डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम श्यामरीपुरवा स्थित वन भूमि रकवा 45.278 है० के बदले शासकीय समतुल्य राजस्व भूमि वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने का अनुरोध किया गया।

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नौगांव जिला छतरपुर के प्रस्ताव अनुसार नायब तहसीलदार देवरा, तहसील बिजावर द्वारा जांच प्रकरण क्र० 203/बी-121/2017-18 पंजीबद्ध कर अपने प्रतिवेदन दिनांक 28.02.2018 से प्रतिवेदित किया गया है कि हल्का पटवारी नं० 48 शाहगढ़ से वन विभाग एवं जल संसाधन विभाग के कर्मचारियों के साथ स्थल जांच प्रतिवेदन खसरा, नक्शा, नक्शा ट्रेस प्राप्त कर ग्राम रामगढ़(बी) स्थित शासकीय राजस्व भूमि खसरा नं० 145/1 रकवा 202.710 है० भूमि जो राजस्व अभिलेख में म०प्र० शासन पहाड़ के रूप में दर्ज भूमि में से 45.278 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को हस्तांतरित किए जाने के संबंध में इशतहार का प्रकाशन किया गया। सावधि कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर हस्तांतरित किये जाने की अनुशंसा की गई।

अनुविभागीय अधिकारी, बिजावर द्वारा अपने प्रकरण क्रमांक 745/बी-121/2017-18 प्रतिवेदन दिनांक 01.03.2018 से नायब तहसीलदार देवरा के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रतिवेदित किया है कि ग्राम रामगढ़(बी) स्थित शासकीय राजस्व भूमि खसरा नं० 145/1 रकवा 202.710 हेक्टेयर में से 45.278 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु डूब क्षेत्र में प्रभावित होने वाली वन भूमि के बदले दिये जाने की अनुशंसा की गई।

वन मण्डलाधिकारी (सामान्य), वन मण्डल, छतरपुर द्वारा अपने ज्ञाप क्रमांक/म.चि./2018/962, छतरपुर दिनांक 14.03.2018 से डूब क्षेत्र में आने वाली वन भूमि के बदले शासकीय राजस्व समतुल्य भूमि स्थित ग्राम रामगढ़(बी) खसरा नं० 145/1 कुल रकवा 202.710 हेक्टेयर में से 45.278 हेक्टेयर भूमि क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराने में सहमति प्रदत्त की गई।

अनुविभागीय अधिकारी, बिजावर एवं वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) वन मण्डल छतरपुर द्वारा दी गई सहमति के आधार पर तेंदुआं नाला तालाब के डूब क्षेत्र में आने वाली ग्राम श्यामरीपुरवा स्थित वन भूमि रकवा 45.278 हेक्टेयर के बदले तहसील बिजावर राजस्व निरीक्षण मण्डल, देवरा पटवारी हल्का 48 शाहगढ़ स्थित ग्राम रामगढ़ (बी) भूमि खसरा नं० 145/1 कुल रकवा 202.710 हेक्टेयर में से 45.278 हेक्टेयर शासकीय राजस्व समतुल्य भूमि क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 4 क्रमांक 1 की कंडिका 36 के तहत म०प्र० शासन वन विभाग के नाम निम्नांकित शर्तों पर हस्तांतरित की जाती है।

नायब तहसीलदार देवरा को आदेशित किया जाता है कि आदेशानुसार भूमि का मौके पर सीमांकन कर पथर गाड़कर चौहद्दी बताते हुये नापकर कब्जा म०प्र० शासन वन विभाग, (वन मण्डलाधिकारी (सामान्य), वन मण्डल छतरपुर) जिला छतरपुर, को सौंपते हुये हस्तांतरित भूमि नक्शे में चिन्हित कर राजस्व अभिलेखों को अद्यतन करते हुये पालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें।

शर्त :-

1. विषयांकित प्रयोजन से भूमि का प्रयोग विभिन्न प्रयोजन में नहीं किया जावेगा।
2. प्रश्नाधीन भूमि पर स्थित वृक्षों की कटाई की अनुमति सक्षम प्राधिकारी से ली जाना आवश्यक होगा।
3. प्रश्नाधीन आदेश तेंदुआ नाला तालाब योजना के निर्माण कार्य होने पर ही प्रभावशील होगा।
4. पर्यावरण पदूषण का भी ध्यान रखना होगा।
5. कलेक्टर या उसके प्रतिनिधि को भूमि के उपयोग के संबंध में प्रवेश करने एवं निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
6. भविष्य में भूमि का उपयोग विषयांकित प्रयोजन पर न होने के कारण उस पर निर्मित अद्योसंरचना एवं सम्पत्ति पर म0प्र0 शासन राजस्व विभाग का स्वामित्व होगा, जिसके लिये कोई मुआवजा राशि देय नहीं होगी।
7. हस्तांतरित भूमि पर कब्जा प्राप्ति के 15 दिवस के अन्दर हस्तांतरित भूमि पर बाउण्ड्री निर्माण का कार्य प्रारम्भ करना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन होने पर आदेश स्वमेव शून्यवत हो जावेगा।

(रमेश भण्डारी)

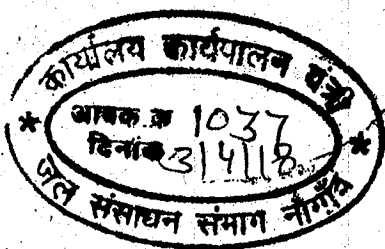
कलेक्टर

जिला-छतरपुर, म0प्र0

छतरपुर, दिनांक- 15/03/2018

पू0प्र0क्रं0 73/अ-19(3)/भूमि.हस्ता./2017-18
प्रतिलिपि :-

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. कमिश्नर, सागर संभाग, सागर, मध्यप्रदेश।
5. वन संरक्षक, (सामान्य) वन मण्डल छतरपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छतरपुर, जिला छतरपुर की ओर सूचनार्थ।
7. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नौगांव, जिला छतरपुर की ओर पत्र क्रं0 2438-ए/कार्य./2017, नौगांव दिनांक 13.10.2017 के संदर्भ में पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. नजूल अधिकारी, जिला छतरपुर की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिजावर।
10. अधीक्षक, भू-अभिलेख, कलेक्ट्रेट की ओर पत्र क्रं0 330/भूअभि/स.अ.भू./2018, दिनांक 15.03.2018 के संदर्भ में पालनार्थ एवं सूचनार्थ।
11. नायब तहसीलदार देवरा की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



(रमेश भण्डारी)

कलेक्टर

जिला-छतरपुर, म0प्र0

बिन्दु शर्त क्र० - X

वचन पत्र

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छतरपुर वचनबद्ध है कि तेन्दुआ नाला तालाब योजना के अन्तर्गत बदले में दी गई भूमि का सर्वे एवं डिर्माकेशन के लिये राशि का भुगतान करेगा ।


कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग,
छतरपुर (म०प्र०)

बिन्दु शर्त क्र० - XI

वचन पत्र

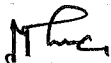
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छतरपुर वचनवद्ध है कि तेन्दुआ नाला तालाब योजना के लिए जमीन बिना किसी अनाधिकृत कब्जे में उपयुक्त है ।


कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग,
छतरपुर (म०प्र०)

बिन्दु शर्त क्र० – XII

वचन पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि तेन्दुआ नाला तालाब योजनान्तर्गत सर्वे सीट के स्केल
1:50000 में मार्क किया जा चुका है ।


कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग,
छतरपुर (म०प्र०)

बिन्दु शर्त क्र० – XIII (a) & (b)

वचन पत्र

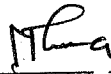
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छतरपुर वचनवद्ध है कि तेन्दुआ नाला तालाब योजना के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के अनुसार , शुद्ध वर्तमान (NPV) की अतिरिक्त राशि उपलब्ध करायेंगे एवं उस राशि को एड-हॉक कैम्पा में जमा कर भारत सरकार पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को सूचित करेंगे ।


कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग,
छतरपुर (म०प्र०)

बिन्दु शर्त क्र० - XIV

वचन पत्र

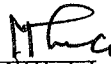
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छतरपुर, वचनवद्ध है कि भारत सरकार द्वारा किये गये पर्यावरण में किये गये प्रावधान की धारा 1986 एवं नियम 1986 के अन्तर्गत समय-समय पर दिये गये संशोधन के अनुसार flyash के संबंध में दिये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा ।


कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग,
छतरपुर (म०प्र०)

बिन्दु शर्त क्र० - XV

वचन पत्र

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छतरपुर, वचनवद्ध है कि तेन्दुआ नाला तालाब योजना के संबंध में व्यपवर्तित होने वाली वन भूमि में मौजूदवृक्षों के विदोहन के लिये आवश्यक विदोहन व्यय प्रयोक्ता संस्थान जल संसाधन विभाग द्वारा वन विभाग को प्रदाय किया जावेगा । साथ ही वृक्षों का न्यूनतम पातन किया जायेगा और वृक्षों का पातन वन विभाग की कड़ी निगरानी में किया जायेगा ।


कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग,
छतरपुर (म०प्र०)

बिन्दु शर्त क्र० – XVI

वचन पत्र

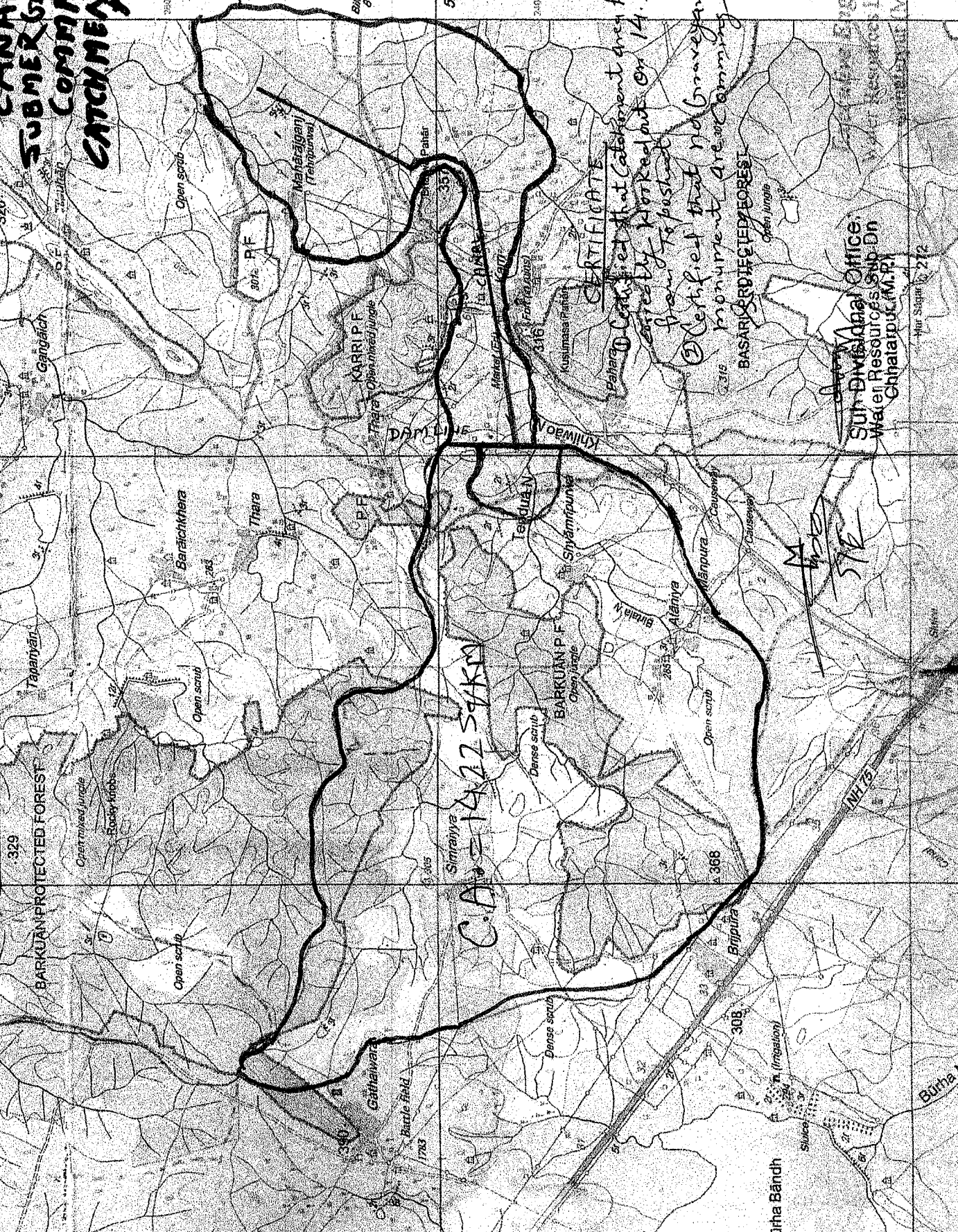
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छतरपुर, वचनवद्ध है कि तेन्दुआ नाला तालाब योजना में केचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान पालन वन विभाग की निगरानी में किया जायेगा ।


कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग,
छतरपुर (म०प्र०)

PARTICULARS

EMOYA NATLA SWEENEY

**DAM
CANAL
SUMMER
COMMITTEE
CATCH ME UP**



CERTIFICATE

① Certified that Catechism given have been correctly worked out on 14.2.25/Am from Notebook 4

② Certified that no Graveyard or Religious monument are containing Urns

~~BASARI~~ ~~PROTECTED FOREST~~

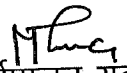
Sub-Regional Office:
Water Resources Sub-Div
Chhatarni, M. P.

Mar Sugar 372

बिन्दु शर्त क्र० - XVII

वचन पत्र

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छतरपुर, वचनबद्ध है कि तेन्दुआ नाला तालाब योजना में एफटीएल से एफटीएल -4 मी० के बीच आने वाले वृक्षों का पातन नहीं किया जावेगा ।


कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग,
छतरपुर (म०प्र०)

बिन्दु शर्त क्र० - XVIII

वचन पत्र

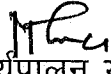
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छतरपुर, वचनवद्ध है कि तेन्दुआ नाला तालाब योजना के संबंध में उपयोगिता अभिकरण जलाशय की परिधि के साथ वनीकरण के कार्य करेगा ।


कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग,
छतरपुर (म०प्र०)

बिन्दु शर्त क्र० – XIX

वचन पत्र

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छतरपुर, वचनवद्ध है कि तेन्दुआ नाला तालाब योजना द्वारा वानिकी से संबंधित परियोजनाओं के लिये निःशुल्क जल उपलब्ध कराया जायेगा ।


कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग,
छतरपुर (म०प्र०)

Government of Madhya Pradesh
Office of the District Collector Chhatarpur

No. 7117

Dated 7/3/18

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliances of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No.11/09/98 FC(pt) dated 3rd August 2009, where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Schedule Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes, it is certified that 45.278 hectares of forest land proposed to be diverted in favour Water Resources Department for construction of Tendura nalla Irrigation Project in Chhatarpur district falls within jurisdiction of Shamripurwa village PF No.636 in Chhatarpur tehsil.

It is further certified that:

- (a) The complete process of identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 45.278 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records for all consultation and meeting of the Forest Rights Committee, Gram Sabha, Sub Divisional Committee, and the District Level Committee are enclosed as annexure to.
- (b) The proposal for such diversion with full details of the project and its implication in vernacular/local language have been placed before concerned gram sabha of forest dwellers, who are eligible under the FRA.
- (c) The Concern gram sabha has certified that all formalities/process under FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of the proposed diversion. A copy of certificate issued by the Gram sabha of Shamripurwa village is enclosed as annexure to.
- (d) The discussion and decision on such proposal had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the member of gram sabha present.
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the gram sabha given their consent to it.
- (f) The rights of Primitive Tribe Groups and Preagricultural communities where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1)(e) of the FRA.

Encl: As above

Collector
Dist. Chhatarpur

बिन्दु शर्त क्र० - XXI

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि तेन्दुआ नाला तालाब परियोजना में प्रस्तावित 45.278 है० वन भूमि प्रकरण में समस्त राशियां नियमानुसार/निर्देशानुसार एड-हॉक कैम्पा में जमा करा दिया गया है ।


कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग,
छतरपुर (म०प्र०)

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छतरपुर (म.प्र.)

E-mail:- eewrdchhatarpur@gmail.com

पत्र क्रमांक 378

/व.ले.लि./2021-22

छतरपुर, दिनांक 09/03/2022

प्रति,

वन मण्डला अधिकारी,
सामान्य वन मंडल छतरपुर (म0प्र0)।

विषय:- जिला छतरपुर के अंतर्गत तेंदुआ नाला बांध योजना के निर्माण हेतु 45.278 हे. वन भूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बावत।

संदर्भ:- आपका पत्र मा.चि./2020/6368 छतरपुर दिनांक 08.10.2020

—0000—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा वांछित जिला छतरपुर के अंतर्गत तेंदुआ नाला बांध योजना के निर्माण हेतु 45.278 हे. वन भूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग के लिए राशि रु. 46277330/- (चार करोड़ वासठ लाख सतहत्तर हजार तीन सौ तीस मात्र) दिनांक 08.03.2022 को केम्पा चालान यूनियन बैंक ऑफ इंडिया नई दिल्ली आईएफएससी कोड क. UBIN0903710 खाता क. 150765732224703 में राशि निम्नानुसार जमा की गई है।

स.क्र.	रोपित शर्त का विवरण	रकवा हे. में	राशि (रुपये)	रिमार्क
1.	क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण			
	(a) मृदा संरक्षण कार्य	45.278	5613300.00	
	(गैर वन भूमि)			
	(b) बिगड़े वन क्षेत्र पर	90.556	12320000.00	
	योग		17933300.00	
2.	नेट प्रजेंट वैल्यू	45.278	28344030.00	
	कुल योग		46277330.00	

(एम.के.रुसिया)
कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग छतरपुर

पृ. क्रमांक 378A /व.ले.लि./2021-22

छतरपुर, दिनांक 09/03/2022

प्रतिलिपि:-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य अभियंता, धसान केन कछार जल संसाधन विभाग सागर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मंडल छतरपुर की ओर सूचनार्थ।
4. मुख्य वन संरक्षक, छतरपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

(एम.के.रुसिया)
कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग छतरपुर

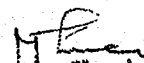
E.E.W.R. CHHATARPUR

Page 1

Advice No. : 0603102037/032021-22/E0015
Bank Name : STATE BANK OF INDIA

Advice Date : 08/03/2022
Branch Name : CHHATARPUR

SR. No.	Voucher No.	E-Cheque No.	E-Cheque Date	Payee Name	Amount	Signature Of ATO (cheque)	Signature Of TO/STO	Remarks
1	060/4702/032021-22/0001	W06051800	08/03/2022	E.E.W.R. CHHATARPUR	4,62,77,330.00			
Total Amount : 4,62,77,330.00								


Executive Engineer
Water Resources Division
Chhatarpur (M.P.)

ति
अ
जी
ए
सी
म

रु
1/0

सू

सू

रु

AGENCY COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 04-03-2022

Agency Name.	EXECUTIVE ENGINEER WATER RESOURCES DIVISION NOWGONG
Application No.	5732224703
MoEF/SG File No.	8-20/2019-FC
Location.	MADHYA PRADESH
Address.	Water Resources Division Nowgong Chhatarpur
Amount(in Rs)	46277330/-

Amount in Words : Four Crore Sixty-Two Lakh Seventy-Seven
Thousand Three Hundred and Thirty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following
details;

Beneficiary Name:	MADHYA PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150765732224703 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

This Challan is strictly to be used for making
payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 04-03-2022

Agency Name.	EXECUTIVE ENGINEER WATER RESOURCES DIVISION NOWGONG
Application No.	5732224703
MoEF/SG File No.	8-20/2019-FC
Location.	MADHYA PRADESH
Address:	Water Resources Division Nowgong Chhatarpur
Amount(in Rs)	46277330/-

Amount in Words : Four Crore Sixty-Two Lakh Seventy-Seven
Thousand Three Hundred and Thirty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following
details;

Beneficiary Name:	MADHYA PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150765732224703 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

This Challan is strictly to be used for making
payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through
Email: helpdeskampa@corpbank.co.in

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated
even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to
Email: cb0371@unionbankofindia.com

Thane
Executive Engineer
Water Resources Division
Chhatarpur (M.P.)

क्रमिक/मा.चि./2020/6368
प्रति,

छतरपुर, दिनांक: 8-10-20

कार्य पालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग छतरपुर
विषय :- जिला छतरपुर के अंतर्गत तेंदुआ नाला बांध योजना के निर्माण हेतु 45.278 हे० वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत।

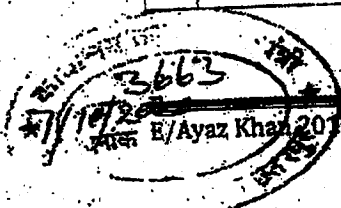
- संदर्भ :-
1. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 8-20/2019-एफ.सी. दिनांक 11.03.2020
 2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मू-प्रबंध) भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ-3/54/2018/10-11/5/1025 भोपाल दिनांक 12.03.2020

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र क्रमांक 02 द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मू-प्रबंध) भोपाल ने प्रकरण में भारत शासन के संदर्भित पत्र क्रमांक 01 जिसके द्वारा निर्धारित शर्तों अधीन स्वीकृति प्रदान की गई है, प्रकरण में स्वीकृति अनुसार रोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन सम्प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

भारत शासन द्वारा रोपित शर्त क्रमांक II, IX के अनुसार क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि, शर्त क्रमांक XIII के अनुसार नेट प्रजेन्ट वैल्यू एवं शर्त क्रमांक XV के अनुसार आवेदित क्षेत्र में खड़े वृक्षों के विदोहन हेतु आंकलित राशि आवेदक संस्थान से प्राप्त की जानी है। जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	रोपित शर्त का विवरण	रकवा हे० में	राशि (रुपये)	रिमार्क
1.	क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण (a) मुदा संरक्षण कार्य (गैर वनभूमि) (b) बिगाड़े वन क्षेत्र पर	45.278 90.556 कुल योग-	5613300.00 12320000.00 17933300.00	मुख्य वन संरक्षक छतरपुर के आदेश क्रमांक/मा.चि./व्यय/358 दिनांक 24.08.2018 से प्रदाय तकनीकी स्वीकृति अनुसार
2.	नेट प्रजेन्ट वैल्यू	45.278	28344030.00	म. प्र. शासन वन विभाग आदेश क्र. /एफ-5/16/2000/10-3 दिनांक 12.09.2008 के अनुसार ईको क्लास III खुले वन व रिक्त क्षेत्र हेतु निर्धारित रुपये 626000/- हे० की दर से आंकलन अनुसार
3.	आवेदित क्षेत्र में खड़े वृक्षों का विदोहन	45.278	223360.00	वन परिक्षेत्राधिकारी छतरपुर के पत्र क्रमांक/मानचित्र/1848 दिनांक 20.08.2020 से प्राप्त गणना पत्रक अनुसार

(क्रमशः 92)



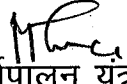
certified true

Bill sent in M.B.X 1046 mp x 45.55
② Payment is made for Forest Land & other work + charge of forest dept + for tendu tax scheme

बिन्दु शर्त क्र० – XXII

वचन पत्र

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छतरपुर, वचनवद्ध है कि तेन्दुआ नाला तालाब योजना के ले-आउट प्लान में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बगैर कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।


कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग,
छतरपुर (म०प्र०)

INDEX MAP

269

Open scrub

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

PARTICULARS

Open scrub

Open scrub

Open scrub

Open scrub

Open scrub

Open scrub

Open scrub

Open scrub

Open scrub

Open scrub

Open scrub

Open scrub

Open scrub

DAM

CANAL

SUBMER GENG

COMMAND

CATCHMENT

AREA

AREA

AREA

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

CHHATARPUR

INDEX
PARTICULARS
DAM
CANAL
SUBMER GENG
COMMAND
CATCHMENT
AREA

CERTIFICATE
1) Certified that Catchment area have been
surveyed by worked out on 14.2.25
from To post
2) Certified that no Graveyard or Religious
monument are coming up in
BASARICARDI FOREST
Open jungle

Executive Engineer
Water Resources Division
Chhatarpur (M.P.)
Sun-divisional Office,
Water Resources Sub-Dn
Chhatarpur (M.P.)
H.A. Sagar 272

बिन्दु शर्त क्र० - XXIII

वचन पत्र

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छतरपुर, वचनवद्ध है कि तेन्दुआ नाला तालाब योजना के संबंध में वन भूमि में केम्प नहीं लगाये जायेंगे ।


कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग,
छतरपुर (म०प्र०)

बिन्दु शर्त क्र० - XXIV

वचन पत्र

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छतरपुर, वचनवद्ध है कि तेन्दुआ नाला तालाब योजना के संबंध में वन भूमि का परियोजना प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट उपयोग से भिन्न कोई उपयोग नहीं किया जावेगा और वन भूमि किसी भी परिस्थिति में बिना भारत सरकार की अनुमति के किसी भी संस्था, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जायेगी।


कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग,
छतरपुर (म०प्र०)

बिन्दु शर्त क्र० -XXV

वचन पत्र

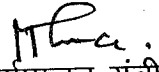
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छतरपुर, वचनवद्ध है कि राज्य सरकार द्वारा निश्चित किये गये R & R Plan and R & R Policy पर सुधार करेगा ।


कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग,
छतरपुर (म०प्र०)

बिन्दु शर्त क्र० -XXVI

वचन पत्र

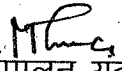
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छतरपुर, वचनवद्ध है कि राज्य वन विभाग द्वारा चिड़ियों के घौसले बनाने या उनमें सुधार की आवश्यकतानुसार विभाग सहयोग करेगा ।


कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग,
छतरपुर (म०प्र०)

बिन्दु शर्त क्र० - XXVII

वचन पत्र

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छतरपुर, वचनवद्ध है कि तेन्दुआ नाला तालाब योजना के संबंध में संलग्न श्रमिकों और कार्यस्थल पर लगे कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध करायेगा जिससे कि आसपास के वन क्षेत्र के नुकसान तथा उन पर दबाव को रोका जा सके ।


कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग,
छतरपुर (म०प्र०)

बिन्दु शर्त क्र० – XXVIII

वचन पत्र

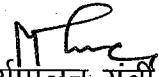
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छतरपुर, वचनवद्ध है कि तेन्दुआ नाला तालाब योजना के संबंध में प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि की सीमा रेखा को 4 फीट ऊँचे आर०सी०सी० स्तम्भ का निर्माण करते हुए, प्रत्येक स्तम्भ पर क्रमांक अगला एवं पिछला बियरिंग, स्तम्भ से स्तम्भ की दूरी अंकित करते हुये, भूमि का चिन्हांकन परियोजना लागत पर किया जायेगा ।


कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग,
छतरपुर (म०प्र०)

बिन्दु शर्त क्र० -XXIX

वचन पत्र

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छतरपुर, वचनबद्ध है कि किसानों की जमीन में कोई भी अतिरिक्त पानी किसी भी उद्योग को नहीं दिया जायेगा ।


कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग,
छतरपुर (म०प्र०)

बिन्दु शर्त क्र० - XXX

वचन पत्र

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छतरपुर, वचनवद्ध है कि वन क्षेत्र प्रकरण के निराकरण हेतु प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को रिपोर्ट प्रस्तुत की जावेगी ।


कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग,
छतरपुर (म०प्र०)

बिन्दु शर्त क्र० -XXXi

वचन पत्र

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छतरपुर, वचनवद्ध है कि किसी भी स्थिति में पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन होने पर मंत्रालय के गाईड लाइन अनुसार कार्यवाही की जावेगी ।


कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग,
छतरपुर (म०प्र०)

बिन्दु शर्त क्र० - XXXII

वचन पत्र

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छतरपुर, वचनवद्ध है कि आवेदित वन क्षेत्र तथा समीपस्थ वन क्षेत्रों पर मौजूद वनस्पति/वन प्रजातियों को कोई / किसी भी प्रकार की क्षति / नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा ।


कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग,
छतरपुर (म०प्र०)

बिन्दु शर्त क्र० - XXXIII

वचन पत्र

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छतरपुर, वचनवद्ध है कि तेन्दुआ नाला तालाब योजना के संबंध में परियोजना पर लागू समस्त अधिनियमों, विनियमों, और दिशा निर्देशों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करेगा ।


कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग,
छतरपुर (म०प्र०)